(166)

कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक8914 / मु0वि0प्रा0 / 2010 दिनांक31/12/10

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
बापू भवन,लखनऊ।

विषय– मैसर्स द्वारिका बालाजी कन्सॉर्शियम द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 / ले-आउट पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण में "ख" श्रेणी में पंजीकृत एवं शासन के पत्र संख्या 851 / 8–3–2009–3विविध / 09 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3,दिनांक 24.2.2009 के द्वारा स्वीकृत लाईसेन्सी मैसर्स द्वारिका बालाजी कन्सॉर्शियम द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 पर शासनादेश सं0 5873 / आठ–1–05 –34 विविध / 03 टीसी–1 दिनांक 12.1.2006 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 20.12.2010 की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 / ले–आउट पर प्राधिकरण की 23वीं बोर्ड बैठक दिनांक दिनांक 29.12.2010 में मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है,जो कि शासन के अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

(कर्ण सिंह चौहान)
उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,7 बन्दरिया बाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मैसर्स द्वारिका बालाजी कन्सॉर्शियम, बी–7,सेक्टर–36,नोयडा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि विकास हेतु अनुज्ञा जारी किये जाने हेतु डिटेल ले–आउट प्लान तथा शासनादेशानुसार अर्जन एवं पुर्नग्रहण हेतु भूमि [illegible] सजरा प्लान पर चिन्हांकन करते हुए पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत [illegible]।

(कर्ण सिंह चौहान)
उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,मुजफ्फरनगर।

Attested.

1/12/14

31/12/10

अधिशासी अभियन्ता
विकास प्राधिकरण
मुजफ्फरनगर

मुज़फ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुज़फ्फरनगर

पत्रांकः 143/2011 /चार (भ0 नियंत्रण) 20 दिनांक 19.10.2011

श्री / श्रीमती / मै0 मैसर्स [illegible] कन्सॉर्टियम

बी-7, सैक्टर-36, नोएडा

आपके पत्र दिनांक 08/4/2011 मानचित्र सं0 143/2011 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित व्यापारिक (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) भवन निर्माण की मोहल्ला / कॉलोनी / ग्राम [illegible] भूखण्ड / भवन सं0 9 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र सलंग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नही होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप नियमों के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण / पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपेन्सी) प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे।

11– मानचित्र में अंकित 01 से 17 तक सभी शर्तों का पालन करना होगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

12– नियमानुसार [illegible] करना होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता श्री [illegible] सिंह को प्रेषित।

उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 5-9-16 के अनुपालन में दिनांक 19-10-16 से दिनांक 18-10-19 (3 वर्ष) के लिए नवीनीकरण किया जाता है।

09-09-2016

प्रभारी अधिकारी / सचिव / उपाध्यक्ष

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकारण

मुजफ्फरनगर

प्रभारी अधिकारी

मु0 वि0 प्रा0